(30)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी-2478-एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 24.05.2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी विजावर, जिला छतरपुर प्रकरण क्रमांक 47/अपील/2014-15

---

1. नत्थू पुत्र स्व. श्री तिल्का यादव
2. शोभा पुत्र स्व. श्री तिल्का यादव
3. गनेश पुत्र स्व. श्री तिल्का यादव
4. श्रीबाई पुत्री स्व. श्री तिल्का यादव
5. लछिया पुत्र स्व. श्री तिल्का यादव
6. मिट्ठू पुत्र स्व. श्री तिल्का यादव

निवासी - ग्राम निपानिया तह0 बकरवाहा

जिला छतरपुर (म.प्र.) .....**आवेदकगण**

विरुद्ध

प्यारीबाई पुत्र श्री मोहन पत्नी भगवानदास यादव
निवासी - ग्राम कुमारी बुलुवा तह0 हटा
जिला दमोह (म.प्र.) .....**अनावेदक**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन

आदेश

(आज दिनांक 19/04/18 **.....को पारित)**

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी विजावर, जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 47/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2016 के

विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अंतर्गत धारा-178 के तहत प्रस्तुत कर आपसी सहमति के आधार पर बंटवारा किए जाने का अनुरोध किया। जिस पर कार्यवाही करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 05.06.1997 को बंटवारा आदेश पारित किया। जिसके विरुद्ध अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बिजावर के समक्ष अपील पेश की गई, जो आदेश दिनांक 24.05.2016 द्वारा स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदिका के बयान एवं उसकी ओर से दी गई सहमति के आधार पर बंटवारा आदेश पारित किया था। ऐसी स्थिति में आदेश के विरुद्ध अपील प्रचलन योग्य ही नहीं थी। इस तथ्य पर विचार किए बिना जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह नितान्त अवैध व अनुचित होने से अपास्त किए जाने योग्य है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अनावेदिका द्वारा बंटवारा आदेश के विरुद्ध लंबे समय पश्चात् अवधि वाह्य अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसमें धारा-5 का आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके संबंध में आवेदकगण की ओर से निवेदन किया गया था कि अनावेदक को आदेश की जानकारी विधिवत रूप से थी, किंतु आवेदन-पत्र में स्पष्ट कारण का उल्लेख न कर जो आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है वह सद्भाविक नहीं है, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर विचार किए बिना जो आदेश पारित किया गया है वह अवैध व अनुचित होने से अपास्त किए जाने योग्य है।

4. अनावेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक

द्वारा विलंब से अपील प्रस्तुत की गई, अपील के साथ अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उभयपक्षों को सुनने के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी ने विलंब क्षमा का आवेदन सद्भाविक एवं विलंब का कारण युक्ति-युक्त होने से स्वीकार किया जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है। विलंब क्षमा करना न्यायालय का विवेकाधिकार है। प्रकरण का निराकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय में गुण-दोषों पर होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर